न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 [illegible] /2021 तारीख रजू 29.11.2021

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

मिसल आई0डी0 नम्बर 2021/[illegible]

उनवान

कैलाशी पुत्र कंचन बगै0 जाति जाट निवासी कजानीपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

—सायलान—02

बनाम

कारू पुत्र गल्लर बगै0 जाति जाट तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान —15

दिनांक	फर्द अहकाम
29.11.2021	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। प्रकरण में विवादित आराजीयात में वेदखल कर , रहन व्यय नही करने हेतु गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1052,1053,1054,1055,1056,1058,1059, 1060,1065,1066,1067,1068,1083,1085,1086,1042,1044,1057,1061,1063,1069,1084, 1132,1133,वाके ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 20.12.2021 को पेश हों। (अरूण सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

20/12/21

वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी...[illegible]

[illegible] नियमानुसार दिनांक 20.12.21 को [illegible]

23/3/2022 पत्रावली पेश हुई। सायलान व सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार सायलान व सायलान वकील को आवाज मिलवायी। आवाज मिलवाने के बावजूद सायलान व सायलान वकील उपस्थित नहीं। निगरानी मालिक दिखा है कि सायलान व सायलान वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। अतः मु.सं. 404/2021 पर कैलाशी बनाम कारू उक्त आराजी व उक्त खसरों की स्थायिम किया जाता है। पत्रावली [illegible] कर दी जाये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.18 12:41:54
Reason: SelfAttested